फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/स्ट्राइक ऑफ/2019-20
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10वां माला, टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001.
दिनांक 22 नवंबर, 2019

<u>निर्देश संख्या 03/2019 [जीएसटी – अन्वेषण</u>]

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत कंपनियो की निगरानी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

1.1 इस कार्यालय को भारत के विभिन्न राज्यों के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) से कई संचार प्राप्त हुए हैं , जिनमें उन कंपनियों की सूची भी प्राप्त हुई है, जिनकी पहचान उक्त कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से अलग करने के लिए की गयी है ।

1.2 उक्त संचार के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि कंपनियों की सूची की जांच की जाए और आपत्तियां, यदि कोई हों तो 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित की जाएं, जिसमें विफल होने पर अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और इन कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा इन्हें उक्त समय अवधि की समाप्ति के बाद भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा।

1.3 उक्त सूची (सूचियों) को सभी सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, डी.जी.जी.आई., डी.आर.आई. तथा डी.जी. (ए.आर.एम.) को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के माध्यम से "*कंपनियों (कंपनियों के नाम को कंपनी के रजिस्टर से हटाना) नियम, 2016*" अधिसूचित किया है, जो उस प्रक्रिया

को निर्धारित करता है जिसके द्वारा कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटाया जा सकता है। इन नियमों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के संदर्भ में तैयार किया गया है। उक्त नियमों के तहत, निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचियां तैयार की जाती हैं

(क) एसटीके - 5 के तहत सूचियां: कंपनियों को स्वत: हटाने के लिए;

(ख) एसटीके -6 के तहत सूचियां: आवेदन पर कंपनियों को हटाने के लिए; तथा

(ग) एसटीके -7 के तहत सूचियां: उन कंपनियों के लिए जिन्हें बंद कर दिया गया है।

3. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट में निम्नलिखित विवरण हैं **(अन्य के साथ)**:

(क) आरओसी (एसटीके -7) द्वारा 248(5) के तहत बंद कंपनियों की सूची - सीए, 13;

(ख) सार्वजनिक सूचना (एसटीके -5) धारा 248(1) के तहत - सीए, 13:

(ग) धारा 248(2) के तहत नोटिस;

(घ) धारा 248 के तहत बंद कंपनियों से जुड़े निदेशकों की सूची; आदि।

ये सूची (सूचियां) विभिन्न आरओसी से संबंधित हैं। वेबसाइट में लुप्त हो रही कंपनियों, अयोग्य कंपनियों, चूककर्ता कंपनियों, निष्क्रिय कंपनियों, हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई एलएलपी आदि की सूची भी शामिल है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इन सूचियों को अपलोड करने की कोई निश्चित आवृत्ति नहीं दिखती है।

4. कंपनियों (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) के नियम, 2016 के उप- नियम 7(2) में कहा गया है कि सूची (सूचियों) को संबंधित नियामक प्राधिकरणों को भेजा जाना चाहिए। हालांकि, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट में सभी आरओसी (25 आरओसी) के फॉर्म एसटीके- 5 और एसटीके -6 के तहत कंपनियों की सूची है, लेकिन सीबीआईसी को केवल 4 आरओसी से सूची प्राप्त हुई है। इसलिए, राजस्व के हित को सुरक्षित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी इकाइयों से लुप्त कंपनियों, अयोग्य कंपनियों, चूककर्ता कंपनियों, निष्क्रिय कंपनियों, आदि के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध, एसटीके-5, एसटीके-6 तथा एसटीके- 7 में प्रकाशित कंपनियों की सूची (सूचियों) की नियमित रूप से निगरानी करने का अनुरोध किया जाता है, जिससे अनिवार्य रूप से राजस्व के हित को सुरक्षित करने के

लिए इन कंपनियों पर आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। इकाइयों को संपूर्ण सूची (सूचियों) की निगरानी करनी होगी, क्योंकि ये सूची (सूचियां) पंजीकृत कार्यालय के पते के आधार पर आरओसी अनुसार हैं, परन्तु यह भी काफी संभव है कि उक्त कंपनियों के जीएसटी पंजीकरण/व्यापार देश भर में विस्तारित हों।

6. यह निर्देश सदस्य (अन्वेषण), सीबीआईसी, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/-
(नीरज प्रसाद)
आयुक्त (जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ), सीबीआईसी

सेवा में ,

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई];
2. प्रधान महानिदेशक [डीआरआई];
3. प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सभी सीजीएसटी क्षेत्र)
4. प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त (सभी सीमा शुल्क क्षेत्र)